

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (एफ-1477)/2024/210

दिनांक : 08/05/2024

आदेश

श्री प्रवीण कुमार सैनी, लैब टैक्नीशियन राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी उच्च न्यायालय जयपुर को दिनांक 14.05.2024 से 17.05.2024 तक कुल 04 दिवस विदेश यात्रा कुआलालम्पुर (मलेशिया) जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है कि :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करावकर प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृति अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपने कर्तव्य पर अविलम्ब उपस्थित होंगे
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे।
6. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
7. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (एफ-1477)/2024/210

दिनांक : 08/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री प्रवीण कुमार सैनी, लैब टैक्नीशियन को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज. जयपुर

RajKaj Ref
7015273

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date : 08-05-2024 02:07:55